

हजारी व अन्य बनाम प्रदीप कुमार व अन्य
36/2025(प्रार्थना पत्र)

निर्णय दिनांक:- 09/04/2025

निर्णय बड़जलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या:-36/2025(प्रार्थना पत्र)

दायर दिनांक:- 07/03/2025

निर्णय दिनांक:- 09/04/2025

अनवान

1. हजारी पिता गिरधारी जाति सालवी निवासी बारवालों का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. उदयराम पिता गिरधारी जाति सालवी निवासी बारवालों का खेड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

—प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रदीप कुमार धाकड़ पिता प्रभूलाल धाकड़ निवासी कल्याणपुरा पोस्ट गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
2. शिवकुमार पिता रतनलाल जाति स्वर्णकार निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
3. नीतु पाटनी पिता नरेश चन्द पाटनी निवासी 14/85 सरावगी मोहल्ला, अजमेर जिला अजमेर
4. महाराम पुत्र पेमाराम जाति गुर्जर निवासी बारवालों का खेड़ा मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द

—अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

प्रार्थीगण की ओर से - श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता

अप्रार्थीगण की ओर से - श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 04

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0
:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का पेश किया कि प्रार्थीगणों की स्वामित्व एवं आधिपत्य खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बारवालों का खेड़ा पटवार हल्का मदारिया तहसील



1
सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

हजारी व अन्य बनाम प्रदीप कुमार व अन्य

36/2025(प्रार्थना पत्र)

निर्णय दिनांक:- 09/04/2025

देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 48 खसरा संख्या 51, 55, 56, 56/308, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 कुल किता 13 कुल रकबा 5.1100 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिसका प्रार्थीगण निरन्तर निर्बाद रूप से उपयोग उपभोग कर रहा है व काबिज होकर स्वामी है। प्रार्थीगणों की भूमि के पुराना तथा खाता संख्या 48 खसरा संख्या उक्त खसरान है, जिस पर हम प्रार्थीगण काबिज होकर कब्जेकाशत है जिस पर कृषि कार्य कर रहे हैं। उक्त खाता संख्या 48 के खसरा संख्या 51, 55, 56 तथा 57 में भूमाफियों ने तहसील के कर्मचारी अथवा अधिकारियों की मिलीभगत से किस्म में परिवर्तन कर खनन क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। जबकि पूर्व की जमाबन्दी अवधि बन्दोबस्त 2012 से 2032 में उक्त खसरा संख्या 51 की किस्म बीड़ द्वितीय, खसरा संख्या 55 की किस्म बीड़ द्वितीय, खसरा संख्या 56 की किस्म चाही 03 तथा खसरा संख्या 57 की किस्म चाही 03 थी। तहसील के कर्मचारी अथवा अधिकारियों द्वारा बिना प्रार्थीगणों को नोटिस व जानकारी के प्रार्थीगणों खातेदारी कॉलम 03 में वर्णित उक्त खसरान भूमि कि किस्म में दिया। जिससे उक्त अप्रार्थीगण भूमाफिया जबरन माइनिंग का कार्य कर रहे हैं तथा उक्त खसरों में हमारे खड़े बड़े हरे पेड़ों को भी जेसीबी से बिना अनुमति निकाल दिया। जिसके कारण हम प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगणों के बीच लड़ाई झगडा तथा अप्रिय अनहोनी घटनाओं की सम्भावनाएं बढ़ गई हैं। इस कारण उक्त अप्रार्थीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने की आवश्यकता है। जिसे दुरस्त कर पूर्व के रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थीगणों तथा हमारी फसल को भारी नुकसान हो रहा है तथा और ज्यादा भारी नुकसान हो जाएगा। उक्त त्रुटि के कारण प्रार्थीगणों को भारी असुविधा हो रही है तथा साथ ही मौके पर वर्तमान में लड़ाई झगडा अनहोनी तथा अप्रिय घटनाओं जैसी स्थिति व परेशानी हो रही है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगणों की खातेदारी कृषि भूमि में कालम संख्या 03 में वर्णित उक्त खसरों की किस्म पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करे तथा उक्त भूमि कर वादी को उपभोग उपयोग करने में किसी प्रकार की रुकावट बाधा न तो स्वयं स्वयं करे और नहीं अपने किसी




सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

रिश्तेदार, नौकर या अन्य किसी अनजाना व्यक्ति से करवाये। इस बाबत अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौके की वर्तमान स्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को पाबन्द किया जावे।

1. प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी संख्या 01 व 04 की ओर से जवाब पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र कि कॉलम संख्या 1 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है उक्त खसरा में से खसरा संख्या 51, 55, 56, 57 एवं 54 प्रार्थी के हक हकुक की नहीं होकर खनन क्षेत्र की है। खसरा संख्या 54 बिलानाम आराजी है एवं आराजी संख्या 51, 56 व 57 विपक्षीगण का खनन क्षेत्र है। प्रार्थना पत्र कि कॉलम संख्या 2 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण विपक्षीगण कि खनन क्षेत्र कि भूमि पर काबिज नहीं है। प्रार्थना पत्र कि कॉलम संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। उक्त भूमिया पर विपक्षीगण कि फर्म गोल्ड गिफ्ट माईन्स एवं मिनरल्स के नाम से एमएल संख्या 201/2008 स्वीकृत है उक्त एमएल खनीज भविभाग द्वारा पंजीयन है जो ग्राम बारवालो के खेडा के पुर्व आराजी संख्या 65/2, 65/1, 66, 67, 62 पर स्वीकृत है वर्तमान में भी किस्म खनन क्षेत्र राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र कि कॉलम संख्या 5 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। उक्त भूमि पर खनन विभाग द्वारा विधिवत पत्रावली दर्ज कर भूमि पर खनन क्षेत्र होने से खनन लीज स्वीकृत की गई जिस पर विपक्षीगणो को विधिवत रूप से खनन माईन्स काफी वर्षों से चल रही है। विपक्षीगण के खनन क्षेत्र पर प्रार्थीगण का कोई हक नहीं है। उक्त भूमि किसी प्रकार से कृषि सम्बधीत है की नहीं। भूमि खनन क्षेत्र कि है एवं वहा खनन क्षेत्र ही हैं प्रार्थी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। प्रार्थना पत्र कि कॉलम संख्या 5 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टिया मामला नहीं है विपक्षीगण कि खनन लीज काफी वर्ष से चल रही है जिसकी नियमानुसार रॉयल्टी भी खनन विभाग को चुकता कर रहे है। प्रार्थना पत्र कि कॉलम संख्या 6 में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ न ही कोई राजस्व त्रुटिया है। प्रार्थना पत्र कि कॉलम संख्या 7 व 8 न्याय शुलक से सम्बधीत हो उत्तर कि आवश्यकता नहीं



3
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

है। प्रार्थीगण किसी प्रकार से अन्तीम दाद पाने का अधिकारी नहीं है। जवाब के साथ विशेष उत्तर में उल्लेखित है कि प्रार्थीगण का मूल प्रार्थना पत्र ही काबिली निरस्ती योग्य है विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है आदेश 39 नियम 01 व 02 सीपीसी वाद पत्रों के स्थाई निषेधाज्ञा कि दाद का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का होता है। प्रार्थीगण ने कोई भी वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण ने विधि विरुद्ध रूप से एक प्रार्थना पत्र बाबत शुद्धी इन्द्राज दुरस्ती धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट का माननीय न्यायालय आप में प्रस्तुत किया गया है उस मुल प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का ही प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तु कर विधि विरुद्ध रूप से एक पक्षीये स्थग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते ही उसी दिन न्यायिक प्रक्रिया का दुरपयोग करते हुये लिया गया । बिना किसी मुल वाद के बिना हक हकुक के विपक्षीगणो के खनन क्षेत्र को क्षेत्राधिकारों के विपरीत बन्द करने के लिये कानूनी प्रक्रिया का दुरपयोग करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। खान व भू-ज्ञान विभाग आमेट में तत्कालीन रूप से प्रकाश चन्द्र पिता गोपा लाल चन्देल निवासी बग्गड एक खनन विभाग आमेट में खनन लीज हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर तात्कालीन खसरा संख्या 65/2, 65/1 ग्राम बारवालो का खेडा बिलानाम भूमि, ग्राम मालियो का वास खसरा संख्या 555 बिलानाम भूमि, ग्राम बारवालो का खेड़ा खसरा संख्या 66, 67 खातेदारी भूमि एवं ग्राम मालियो का वास खसरा संख्या 547, 548, 549, 556 खातेदारी भूमि पर संयुक्त रूप से भूमि का सीमांकन कर किश्म मगरी पर खनन विभाग आमेट द्वारा 201/2008 खनन लीज स्वीकृत की गई जो लीज डीड उपपंजीयक देवगढ के यहा रजिस्टर्ड की गई जिसे बाद में विधिवत रूप से खनन विभाग द्वारा विपक्षीगण कि फर्म मैसर्स गोल्ड गिफ्ट माइन्स एवं मिनरल्स को हस्तानान्तरीत हुई जिस पर वर्ष 2019 से विपक्षीगण की फर्म संचालित की जा रही है। खनन क्षेत्र भूमि पर खनन कार्य किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा बिना तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो विधि बाधित है खनन क्षेत्र पर स्थग्न या विवाद होने पर सुनने कि क्षेत्राधिकारीता सिविल न्यायालय को है न की आप न्यायालय को। तत्कालिन खातेदारो ने खनन लीज हेतु सहमति पत्र



सहायक कलेक्टर⁴
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

विधिवत रूप से सम्पादीत कर नाटेशी से प्रमाणीत कर खनन आवेदनकर्ता को दिनांक 31.03.2018, दिनांक 22.06.2018 एवं दिनांक 24.03.2018 को अलग अलग से दिये। बदले में प्रार्थीगण द्वारा प्रतिफल लिया गया एवं उक्त खनन पट्टे क्षेत्र पर विधिवत रूप से विपक्षीगण कि फर्म द्वारा कार्य किया जा रहा है जो खनन लीज क्षेत्र में है। बिना हेतुक का बिना क्षेत्राधिकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है गलत रूप से विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर सम्पूर्ण खनन माइन्स को रोके के लिये तरीका अपनाया गया है मुल प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य है। अन्य निवेदन वक्त बहस अर्ज किये जायेंगे। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे विपक्षीगण को बिना वजह परेशान किया जाने हेतु प्रार्थीगण पर विशेष हर्जा खर्चा अधिरोपित किया जावे। अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से जवाब पेश नहीं करना चाहा।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन चिन्तन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस जाहिर किया कि उक्त आरजीयात खातेदारी है जिसमें मौके पर फसल खड़ी है एवं सहमति पत्र में खातेदारों के हस्ताक्षर नहीं है। स्टाम्प पत्र खातेदार के नाम नहीं खरीद कर गवाह के नाम से खरीदा गया है। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि प्रार्थी ने कोई वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में कोई विशेष दाद नहीं चाही गई है वर्तमान में खसरा संख्या 51, 55, 56, 57 एवं 54 प्रार्थी के हक हकुक की नही होकर खनन क्षेत्र की है। खसरा संख्या 54 बिलानाम आराजी है एवं आराजी संख्या 51, 56 व 57 विपक्षीगण का खनन पर खनन लीज स्वीकृत है वर्तमान में किश्म खनन क्षेत्र राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खनन लीज के संबंध श्रवणाधिकार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अप्रार्थीगण की मौके पर खनन लीज संख्या 201/2008 स्वीकृत है जो लीज प्रभावी है मौके पर खनन कार्य विधिसम्मत किया जा रहा है। खनन सहमति प्राप्त होने पर खनन लीज स्वीकृत होती है प्रार्थी द्वारा खनन लीज सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं करवायी गयी है।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का विवचेन किया गया।



5
सहायक कलेक्टर
देवागढ़, जिला-राजसमन्द

हजारी व अन्य बनाम प्रदीप कुमार व अन्य
36/2025(प्रार्थना पत्र)

निर्णय दिनांक:- 09/04/2025

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित
धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09/04/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास
सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।



(अर्चना चौधरी B.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द